JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल निगम

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर

वेबसाईट : www.jaipurmetrorail.in CIN : U60221RJ2010SGC030630

क्रमांकः :एफ. (1) जेएमआरसी/नि.स. / नि.वि./2021/291 दिनांकः 23.10.2024

परिपत्र

विषयः—सभी प्रकार के उपापनों (Procurements) संबंधी समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नियमानुसार प्रकाशन।

संस्थान में समस्त प्रकार के उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (RTPP Act) एवं नियम, 2013 (RTPP Rules) के प्रावधानों के तहत किये जाते हैं। सभी निदेशालयों में निदेशकगण, कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक आदि उपापन अधिकारी (Procuring Entity) के रूप में कार्य करते हैं। सभी को विदित है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा—17 एवं नियम 4 की पालना में **माल (Goods), सेवाएं (Services) एवं संकर्म (Works) आदि सभी प्रकार के उपापनों में अपेक्षित समस्त सूचनाओं को SPPP पोर्टल पर प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है।** इनकी सूची धारा 17 (3) में उल्लिखित है। साथ ही, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 3(4)वित्त / एसपीएफसी / एसपीपी / Technical / 2004 दिनांक 21.10.2024 **(प्रति संलग्न)** में भी समान निर्देश प्रदत्त किये गये हैं।

उपापन पोर्टल (SPPP) पर सूचनाओं के अनिवार्य प्रकाशन हेतु समय—समय पर सूचित किया जाता रहा है। अतः वित्त विभाग के नवीनतम परिपत्र एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुक्रम में समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः परामर्श दिया जाता है कि नियमित रूप से अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करावें। साथ ही, अब तक के उपापनों के **बकाया अभिलेखों को भी 31 अक्टूबर, 2024 तक आवश्यक (mandatory) रूप से पोर्टल पर प्रकाशित करावें एवं वित्त विभाग द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा यथोचित रूप से प्रेषित किया जावे।** इस संबंध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी पूर्व के परिपत्र भी समय—समय पर प्रेषित किये जा चुके हैं एवं संदर्भ हेतु वित्त (वित्तीय नियम) विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं।

23.10.24

(हरीश लड्ढा)

निदेशक (वित्त)

निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
2. समस्त कार्यकारी निदेशक / महाप्रबंधकगण, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
3. महाप्रबंधक (वित्त):— उपापन पत्रावलियों के परीक्षण के समय उक्त की पालना हेतु नियमित परामर्श प्रदान किया जाये।
4. नॉडल ऑफिसर, आईटी सेल इसे वेबसाईट पर 'परिपत्र' के रूप में अपलोड कराएं।

राजस्थान सरकार
वित्त (Financial Rules) विभाग

क्रमांकः एफ.3(4)वित्त/एसपीएफसी/एसपीपीपी/Technical/2024 दिनांक 21-10-2024

अति आवश्यक

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी एक्ट की धारा 17(3) में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है:

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है परन्तु अन्य सूचनाओं का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है। उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 की पालना नही की जा रही है जो कि गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है

अतः उक्त के संबंध में सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाना है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17(3) के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 31.08.2024 तक किये गये उपापनों से संबंधित समस्त बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से

राजस्थान सरकार
वित्त (Financial Rules) विभाग

यथाशीघ्र प्रकाशित करवाये तथा निर्देशों की पालना के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को प्रमाण पत्र द्वारा सूचित करावें कि दिनांक 31.08.2024 तक के सभी बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित(upload) कर दिया है। समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधिनस्थ उपापन संस्थाओ के बाबत प्रमाण पत्र अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से cao.spfc@rajasthan.gov.in पर दिनांक 31.10.2024 तक आवश्यक रुप से भिजवाना सुनिश्चित करावें एवं साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावें।

21/10/24

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

21/10/24

संयुक्त शासन सचिव